<u>**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान**</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2024-हिं.अ.

दिनांक: 14.10.2024

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की <u>दिनांक 28.09.2024 को हुई जुलाई-सितम्बर, 2024 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.09.2024 को प्रात: 11.00 बजे, डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में उप-सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई जुलाई-सितम्बर, 2024 अवधि की बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संस्थान के सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को भी दी जाए।

यह कार्यवृत्त निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(पदम सिंह)
वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं
वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)

<u>**वितरण:**</u>

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स, नई दिल्ली के सभी सदस्यगण।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र।

<u>**प्रतिलिपि:**</u>

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय की प्रधान निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय की प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया के निजी सचिव।
- उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक(रा.भा.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- उप-निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I (दिल्ली), त्रिकुट-II, तीसरी मंजिल भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.09.2024 को जुलाई-सितम्बर, 2024 अवधि की आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जुलाई-सितम्बर, 2024 अवधि की एक बैठक दिनांक 28.09.2024 को प्रात: 11.00 बजे, डॉ. आर. गोपीनाथ, उप-सचिव महोदय की अध्यक्षता में डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारीगण ने भाग लिया:-

1.	डॉ. आर. गोपीनाथ, उप-सचिव एम्स, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री बिनोद कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.	सदस्य
3.	श्री के. पी. शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय-I (दिल्ली) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
4.	श्री विजय पाल सिंह, वित्त सलाहकार, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग के प्रतिनिधि:- श्री धर्मपाल शर्मा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
6.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.) के प्रतिनिधि:- श्री जगबीर सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
7.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री नरोतम आनंद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
8.	प्रशासनिक अधिकारी, संपदा अनुभाग की प्रतिनिधि:- सुश्री दीपा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
9.	प्रशासनिक अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री शैलेन्द्र कुमार, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
10.	प्रशासनिक अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ की प्रतिनिधि:- श्रीमती संगीता बसवाल, कुक ग्रेड-II, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

11.	प्रशासनिक अधिकारी, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री देशराज, कनिष्ठ प्रशासनिक सहायक एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
12.	प्रशासनिक अधिकारी, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री पूरन चंद भट्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
13.	प्रशासनिक अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ की प्रतिनिधि:- श्रीमती चन्द्रा बिष्ट, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
14.	प्रशासनिक अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ के प्रतिनिधि:- श्री राजेन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
15.	श्री प्रेमपाल, वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
16.	श्री सुरेन्द्र कूलवाल, लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
17.	लेखा अधिकारी, एम.एस.यू. के प्रतिनिधि:- मेघ सिंह चौहान, कनिष्ठ लेखा अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
18.	मुख्य सुरक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि:- श्री सतीश कुमार, सुरक्षा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
19.	बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय के प्रतिनिधि:- श्री जहांगीर खान,पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
20.	श्री जितेन्द्र बहल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
21.	प्रभारी-आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) के प्रतिनिधि:- श्री रजत कुमार, प्रोग्रामर, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
22.	सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग के प्रतिनिधि:- श्री हरगोपाल सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य

23.	प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य) के प्रतिनिधि:- श्री राजकुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
24.	प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल) के प्रतिनिधि:- श्री रविन्द्र कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
25.	श्रीमती निर्मला जेसिंता कुजूर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केंद्र एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
26.	श्री ज्ञानचंद, प्रशासनिक अधिकारी, हृद् तंत्रिका केंद्र, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
27.	श्री राजकुमार, प्रशासनिक अधिकारी, डॉ. भी.रा.अं.सं.रो.कैं.अ. एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
28.	प्रशासनिक अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की प्रतिनिधि:- श्रीमती सीमा, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
29.	श्री महेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
30.	श्री सोहनबीर, प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर एम्स, नई दिल्ली	सदस्य
31.	श्री पदम सिंह, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.), एम्स, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
32.	श्री प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली	समिति सहायक

निदेशक महोदय, अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय एवं चिकित्सा अधीक्षक महोदया अन्य अति-महत्वपूर्ण बैठकों में व्यस्त रहने के कारण तथा वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया अवकाश पर होने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। अन्य सदस्यों की ओर से बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री पदम सिंह, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.) महोदय द्वारा बैठक की शुरूआत की गई और उप-सचिव महोदय, वित्त सलाहकार महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) श्री बिनोद कुमार, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री के.पी. शर्मा तथा बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारीगण का स्वागत किया गया। तत्पश्चात, उन्होंने हिंदी अधिकारी को बैठक की आगे की कार्रवाई का संचालन करने का अनुरोध किया। हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से औपचारिक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैठक की आगे की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

मद सं. 1 **<u>पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि संबंधी।</u>**

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यथावत पुष्टि की गई।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 2 **<u>संस्थान में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी।</u>**

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में हिंदी अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों आदि को हिंदी टंकण/आशुलिपि के अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है। हिंदी अधिकारी द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया कि फरवरी, 2024 से प्रारंभ हुए आशुलिपि के ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र में संस्थान के 04 आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा अगस्त, 2024 से आरंभ हुए हिंदी टंकण के ऑफलाइन प्रशिक्षण सत्र हेतु संस्थान के 09 कर्मचारीगण हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के जनवरी, 2025 में प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण सत्र में भी संस्थान के नियमित कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों/आशुलिपिकों का नियमानुसार नामांकन सुनिश्चित किया जाए ताकि संस्थान के अधिक-से-अधिक कर्मचारीगण हिंदी टंकण/आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने समिति के इस निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

कार्रवाई - हिंदी अनुभाग

मद सं. 3 **<u>संस्थान में हिंदी पदों का सृजन संबंधी।</u>**

हिंदी अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संस्थान द्वारा माननीय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए तथा संस्थान में हिंदी कैडर के पदों हेतु भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय में लागू भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर हिंदी अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि पिछली बैठक में प्रशासन अधिकारी (भर्ती प्रकोष्ठ) द्वारा समिति को सूचित किया गया था कि हिंदी पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव पर संस्थान की आंतरिक कैडर रिव्यू समिति की सिफारिशों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.) एवं शासी निकाय (जी.बी.) की स्वीकृति के बाद दिनांक 20.03.2023 को स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कैडर समीक्षा की सिफारिशों के संबंध में चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है एवं उपरोक्त विषय अभी चर्चा के लिए लंबित है।

हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय समिति को यह भी सूचित किया गया कि इस विषय में भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा की गई अद्यतन कार्रवाई की सूचना हिंदी अनुभाग को प्रदान करने के लिए दिनांक 13.08.2024 एवं 23.09.2024 को ई-ऑफिस द्वारा पत्र भी भेजे गए थे परन्तु इस विषय में अभी तक अद्यतन सूचना अपेक्षित है।

इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत माननीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा हिंदी के पदों के सृजन संबंधी मामले पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए तथा संस्थान में हिंदी कैडर के पदों हेतु भारत सरकार, राजभाषा विभाग एवं स्वास्थ्य मंत्रालय में लागू भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णय को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - भर्ती प्रकोष्ठ

मद सं. 4 <u>संस्थान की अप्रैल-जून, 2024 अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषय के सदंर्भ में हिंदी अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा **हिंदी में मूल पत्राचार** का लक्ष्य **"क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को 100%, "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को 100% , "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को 65% और क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्तियों को हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य 100% निर्धारित किया गया है,** लेकिन दिनांक 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान संस्थान का हिंदी पत्राचार 71.32% ही है।

हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी सूचित किया कि समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन अनुभागों/केंद्रों द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान हिंदी में मूल पत्राचार हेतु निर्धारित 100% लक्ष्य से बहुत कम पत्राचार हिंदी में किया गया है, उन सभी अनुभागों/केंद्रों के प्रशासनिक अधिकारियों को वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी की ओर से एक पत्र जारी करके सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने के निदेश जारी किए जाएं जिसके अनुपालन में हिंदी अनुभाग द्वारा दिनांक 19.08.2024 को माननीया वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया की ओर से एक पत्र जारी करके **संस्थान के संकाय प्रकोष्ठ, भर्ती प्रकोष्ठ, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ, आउटसोर्स प्रकोष्ठ, अनुसंधान अनुभाग तथा शैक्षिक अनुभाग** सहित तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले सभी अनुभागों/केंद्रों को हिंदी में मूल पत्राचार में अपेक्षित वृद्धि करने का निदेश दिया गया।

संस्थान की 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर समीक्षा के दौरान माननीय समिति द्वारा यह पाया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता इन अनुभागों द्वारा जनवरी-मार्च तिमाही की अपेक्षा अप्रैल-जून तिमाही में हिंदी में मूल पत्राचार में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्री बिनोद कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य मंत्रालय तथा श्री के.पी. शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग द्वारा इन अनुभागों की प्रंशसा की गई। श्री बिनोद कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों और हिंदी अनुभाग द्वारा हिंदी में मूल पत्राचार हेतु निर्धारित 100% लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विशेष उपाय किए जाएं।

हिंदी अधिकारी द्वारा समिति को यह भी सूचित किया गया पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में हिंदी पखवाड़े के दौरान दिनांक 02 और 03 सितम्बर, 2024 को संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों/केंद्रों के कनिष्ठ प्रशासनिक सहायकों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हिंदी अधिकारी ने समिति को यह भी सूचित किया कि संस्थान में अगली हिंदी कार्यशाला का आयोजन अक्तूबर-नवम्बर, 2024 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है।

इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करते हुए, श्री के.पी. शर्मा, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग ने यह सुझाव दिया कि हिंदी में मूल पत्राचार में वृद्धि हेतु संस्थान के ई-ऑफिस सिस्टम को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा विकसित अनुवाद टूल **'कंठस्थ'** के साथ जुड़वा कर संस्थान के ई-ऑफिस पर फाइलों आदि को अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित करके हिंदी पत्राचार में अपेक्षित वृद्धि की जा सकती है। श्री के.पी. शर्मा जी ने यह भी सुझाव दिया कि संस्थान में हिंदी अनुभाग द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट को सही प्रकार से भरने के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

माननीय समिति द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा के उपरांत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में मूल पत्राचार संबंधी दर्शाए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के ईमानदारी से प्रयास किए जाएं और राजभाषा विभाग द्वारा विकसित अनुवाद टूल **'कंठस्थ'** का प्रयोग करते हुए मूल पत्राचार में अपेक्षानुसार और वृद्धि करने के प्रयास किए जाएं।

माननीय समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि हिंदी अनुभाग द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभागों/केंद्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट को सही प्रकार से भरने एवं इससे संबंधित विषयों पर एक विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी शीघ्र किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के उपर्युक्त निर्णयों को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्रवाई - तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केंद्र/हिंदी अनुभाग

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी द्वारा माननीय उप-सचिव महोदय तथा अन्य अधिकारीगण को धन्यवाद के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई।